

राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान)
(फोन नं. 0141-2225532, 2222452 फैक्स नं. 0141-2221792)

क्रमांक : एड्स/संस्था/विविध (48)पार्ट II/2022/ 1106

दिनांक : 30-3-22

आदेश

राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी जयपुर के अधीन एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीआई अनुभाग के अन्तर्गत संचालित ओ.एस.टी. केन्द्र, कोटा एवं गंगानगर में अनुबंध पर कार्यरत निम्नांकित अनुबंधित कार्मिकों के अनुबंध की सेवा अवधि, जो दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो रही है, को उनके वर्क परफोरमेंस एवं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक A-11011/03/2022-NACO (HR) दिनांक 27.01.2022 में दिये गये निर्देशों के आधार पर एक दिवस (01.04.22) का ब्रेक करते हुये दिनांक 02.04.2022 से 31.03.2023 तक के लिए बढ़ाया जाता है:-

S. No.	OST Center	Name of Officers/Employees	Designation
1.	M.B.S. Hospital Kota	Dr. Anuj Khandelwal	Medical Officer
2.		Mr. Shaikh Imran Mohd. Qureshi	Data Manager
3.		Mr. Mahesh Vijay	Counselor
4.		Mr. Rajesh Vijay	ANM
5.	Govt. Hospital, Sri Ganganagar	Dr. Raman Deep Kour	Medical Officer
6.		Mr. Hari Narayan	Data Manager
7.		Ms. Meena Sharma	Counselor
8.		Smt. Rajbala	ANM

नोट:- अनुबंध पर कार्यरत कार्मिक जिसकी उम्र 62 वर्ष से अधिक हो गई है, उसकी अभिवृद्धि नहीं मानी जावे।

उक्त कार्मिकों को दिनांक 02.04.2022 से बढ़ाई गई अवधि तक के लिए इस कार्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र राशि रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापन पश्चात् निष्पादित करना अनिवार्य होगा। उक्त सभी कार्मिकों के अनुबंध निष्पादन पश्चात् संबंधित कार्यालय प्रभारी अपने कार्यालय रिकार्ड में रखेंगे।

(डॉ. रविप्रकाश शर्मा)
निदेशक (एड्स) एवं
परियोजना निदेशक-RSACS

क्रमांक : एड्स/संस्था/विविध (48)पार्ट II/2022/ 1106

दिनांक : 30-3-22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अवर सचिव, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. उप महानिदेशक (टीआई), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (वित्त), राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (टीआई), राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर को को प्रेषित कर लेख है कि माह अप्रैल 2022 का मानदेय जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि समस्त कार्मिक, जिनके अनुबंध की अवधि बढ़ाई गई है, उनके द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र निष्पादित कर लिया गया है, यदि अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं किया गया है, तो ऐसे कार्मिकों का अप्रैल 2022 का मानदेय जारी नहीं किया जावे।
6. नोडल अधिकारी, संबंधित ओएसटी केन्द्र, को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिकों के अनुबंध पत्र निष्पादन उपरान्त अपने कार्यालय रिकार्ड में रखे तथा छायाप्रति कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित कार्मिक।
8. आदेश पत्रावली।

निदेशक (एड्स) एवं
परियोजना निदेशक-RSACS